न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 30/13/अपील

बोदी देवी उर्फ धापू देवी बेवा स्व. श्री केशाराम उर्फ केशराराम आयु 63 साल जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

--अपीलार्थीनी

ब ना म

1. ग्राम पंचायत, चैनपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

--रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 336 दिनांक 05.06.2013 बतस्दीक ग्राम पंचायत, चैनपुरा तहसील दांतारामगढ

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील अपीलार्थीनी की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांक-- 13.10.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीनी के पति की खातेदारी भूमि वाके ग्राम श्यामपुरा तन चैनपुरा में भूमि खसरा नं. 50/387, 52, 53, 64 ता 66 किता 6 कुल रकबा 3.30 है0 हि. 1/4 व ख.नं. 59, 60/2 किता 2 कुल रकबा 0.92 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पति का दिनांक 03.11.11 को देहान्त हो चुका है जिसकी विरासत की कार्यवाही के लिये अपीलांट के निवास ग्राम श्यामपुरा की ग्राम पंचायत, चैनपुरा से मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.12 को अपीलांट के पुत्र द्वारा प्राप्त किया गया। जिसमें अपीलांट के पति के वारिस प्रमाण पत्र में अपीलांट का दस्तावेजी नाम बोदी देवी दर्ज न कर मात्र धापूदेवी जो अपीलांट का घरेलू नाम है। अपीलांट का जन्म से नाम बोदी देवी है और शादी के बाद ससुराल में भी उसका दस्तावेजी नाम बोदी देवी ही है लेकिन अपीलांट के पति के बड़े भाई का नाम बोदुराम होने के कारण ससुराल में अपीलांट के घर में नाम धापूदेवी रख लिया गया। धापू देवी के नाम से ही पुकारा जाता है। इसलिए ग्राम पंचायत, चैनपुरा में वरिस प्रमाण पत्र में मात्र धापू देवी ही दर्ज कर दिया जिसके कारण ग्राम पंचायत रेस्पो. सं. 1 द्वारा ना.करण सं. 336 की कार्यवाही में अपीलांट का दस्तावेजी नाम बोदी देवी दर्ज न कर मात्र धापूदेवी कर दिया गया। जिसके कारण उसके मौजूद दस्तावेज के खिलाफ होने के कारण ना.करण सं. 336 में अपीलांट का दर्ज नाम निम्न प्रकार शुद्धि करने के लिये आदेशित किये जाने हेतु अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

(क) अपीलांट की वोटर आई कार्ड दिनांक 01.01.1995 में बनाई गई जिसमें क्रमांक आरजे/05/034/513109 है उसमें अपीलांट का नाम बोदी देवी पत्नी केशराराम दर्ज होने के कारण भी मात्र घरेलू नाम धापूदेवी दर्ज कर खिलाफ दस्तावेज ना.करण भरते हुए करने हेतु अपीलांट का नाम बोदी देवी की बजाय

उपखण्ड अधिकारी

दांतारामगढ

धापू देवी दर्ज कर दिया गया। इसलिए उक्त ना.कारण में अपीलांट का नाम बोदी देवी उर्फ धापू देवी दर्ज कर शुद्धि किया जाना आवश्यक है शेष वारिसान के नाम सही दर्ज किये गये हैं

(ख)अपीलांट के पुत्रों मुकेश कुमार व सीताराम के स्कूल कॉलेज के दस्तावेजात में भी अपीलांट का नाम बोदी देवी माता के नाम के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद भी रेस्पो. सं0 1 ने अपीलांट का मात्र घरेलू नाम धापूदेवी उक्त ना0करण में दर्ज करने के कारण अपीलांट का नाम बोदी देवी उर्फ धापू देवी शुद्धि किये जाने हेतु उक्त ना.करण की अपील किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी लेकर जब अपीलांट का पुत्र किसान केडिट कार्ड की कार्यवाही की पूछताछ करने जब बैंक गया तो बैंक वालों ने अपीलांट की आईडी देखकर किसान केडिट कार्ड की पत्रावली बनाने से मका कर दिया और कहा कि दुरूस्त करवा कर लाओ। तब अपीलांट के पुत्र ने ग्राम पंचायत, चैनपुरा से पुनः संपर्क कर बाद जांच ग्राम पंचायत, चैनपुरा के द्वारा अपीलांट के नाम सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.13 को जारी किया गया जिसके बाद जमाबंदी की नकल दिनांक 06.06.13 व ना.करण की नकल दिनांक 08.07.13 को प्राप्त की गई जिसमें अपीलांट का नाम संशोधन हेतु अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

ना.करण अपीलांट व उसके पुत्रों के दस्तावेजात में दर्ज सही नाम बोदी देवी से भिन्न मात्र घरेलू नाम धापू देवी के नाम दर्ज करने के कारण रेस्पो. सं. 1 ने बिना जांच व परख के तस्दीक किया गया है जो कि सही नहीं है। अपीलांट को उक्त ना.करण की जानकारी दिनांक 01.05.13 को अपीलांट का पुत्र बैंक में जाकर बैंक कर्मचारी द्वारा किसान केडिट कार्ड की पत्राली बनाने से मना करने पर उक्त नाम संशोधन कराया जाना आवश्यक हुआ जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र जमाबंदी व ना.करण की नकल दिनांक 08.07.13 को प्राप्त हुई। ना.करण की नकल दिनांक 08.07.13 से अपील अंदर मियाद पेश है। ना.करण ग्राम पंचायत, चैनपुरा द्वारा तस्दीक करने के कारण माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने के कारण उक्त अपील को सुनने व निर्णय का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर ना.करण सं. 336 दिनांक 05.06.13 में रेस्पो. सं. 1 द्वारा अपीलांट का नाम जो खिलाफ दस्तावेजात होने के कारण उक्त ना.करण अपीलांट के सही नाम बोदी देवी उर्फ धापू देवी दर्ज करने हेतु शुद्धि ना.करण के लिये तहसीलदार, दांतारामगढ को निर्देशित किया जावें कि अपीलांट का नाम बोदी देवी उर्फ धापू देवी करने हेतु शुद्धि ना.करण हेतु कार्यवाही के लिये रिमाण्ड किया जावें। अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति ना.करण सं. 336 दिनांक 05.06.13, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, फोटो प्रति निर्वाचन पहचान पत्र, अंकतालिका अपीलांट के पुत्र सीताराम धायल की फोटो प्रति, अंकतालिका अपीलांट के पुत्र मुकेश कुमार धायल की फोटो प्रति पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने की स्थिति में इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अपीलांट के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीनी का जन्म से नाम बोदी देवी है और शादी के बाद ससुराल में भी उसका दस्तावेजी नाम बोदी देवी ही है लेकिन अपीलांट के पति के बड़े भाई का नाम बोदुराम होने के कारण ससुराल में अपीलांट के घर में नाम धापूदेवी रख लिया गया। धापू देवी के नाम से ही पुकारा जाता है। इसलिए ग्राम पंचायत, चैनपुरा में वारिस प्रमाण पत्र में मात्र धापू देवी ही दर्ज कर दिया जिसके कारण ग्राम पंचायत रेस्पो. सं. 1 द्वारा ना.करण सं. 336 की कार्यवाही में अपीलांट का दस्तावेजी नाम बोदी देवी दर्ज न कर मात्र धापूदेवी कर दिया गया। अपीलार्थीनी के पुत्रों के शैक्षणिक दस्तावेज एवं अपीलार्थीनी के निर्वाचन पहचान पत्र, ग्राम पंचायत, चैनपुरा द्वारा जारी वारिस पत्र एवं ग्राम पंचायत, चैनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलार्थीनी का नाम बोदी देवी ही है। गलत नाम होने से बैंक वाले किसान केडिट कार्ड बनाकर नहीं दे रहे है अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 336 दिनांक 05.06.2013 द्वारा ग्राम पंचायत, चैनपुरा में अपीलार्थीनी का नाम बोदी देवी उर्फ धापू देवी दर्ज करने हेतु शुद्धि ना.करण के लिये तहसीलदार, दांतारामगढ को निर्देशित किया जावें।

4. हमने अपीलांट के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। ना.करण सं. 336 दिनांक 05.06.2013 ग्राम श्यामपुरा का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीनी द्वारा ग्राम पंचायत, चैनपुरा द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र तथा अपीलार्थीनी के पुत्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों में अपीलार्थीनी का नाम बोदी देवी प्रथमदृष्टया साबित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं ना. करण सं. 336 दिनांक 05.06.2013 द्वारा ग्राम पंचायत, चैनपुरा खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलार्थीनी के नाम के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पड़ताल कर पुनः ना.करण भरवाकर ना0करण तस्दीक की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

5. यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दांतारामगढ़